न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : – श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 102/2019

1 मोहम्मद शाहिद पुत्र हाजी मोहम्मद सादिक जाति सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 18, सार्वजनिक चौक बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 मो. युसुफ पुत्र हाजी सुभानबक्स जाति सिलावट सोलंकी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 ताजूदीन पुत्र हफीजूदीन जाति शेख सिदीकी निवासी सुभाष नगर हाल आजाद नगर, जाजड़ा बास रोड़, फाटक नम्बर 101 केपास मेड़ता रोड़ तहसील मेड़तासीटी जिला नागौर राज.
2 आलम अली खॉ पुत्र सवाई खॉ जाति कायमखानी निवासी कुशलपुरा तहसील लाड़नू जिला नागौर
3 महबूब खॉ पुत्र नन्दूखॉ जाति कायमखानी निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर
4 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1 वादी – स्वयं एवं मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 4 – पेरोकार राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक :– 18/09/2020

प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 476/58 तादादी 1.2267 हैक्टेयर, 478/58 रकबा 1.2267 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.4534 हैक्टेयर वाके रोही बैनाथा जोगलिया में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन आपसी तौर पर किया हुआ है अलग अलग सीवें कायम है। परन्तु ... खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादी... कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण ... को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादीगण अपने हिस्से ... काश्त के वादगत ... में अपनी हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहते है जिसके वादीगण कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादीगण ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 22–10–2019 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा वादीगण के कब्जा काश्त में दखत अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादीगण को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 विधिवत तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं होने के कारण जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी सख्या 4 की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राज हित निहित नही होना अंकित किया। वादीगण की और से अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू–1 वादी स्वयं मोहम्मद शाहिद व वादी मो. युसुफ ने सशपथ बयाने प्रस्तुत किये व दस्तावेज प्रदर्श–1 ता 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये।

आदेश

बहस उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री आदेश से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, मौका का जनरी नक्शा, बहस पक्षकारान् के आधार पर वादीगण का वाद विभाजन का इस प्रकार स्वीकार कर अन्तिम रूप से डिक्री जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 476/58 तादादी 1.2267 हैक्टेयर, 478/58 रकबा 1.2267 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.4534 हैक्टेयर वाके रोही बैनाथा जोगलिया मे वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 के खेत खसरा नम्बर 478/58 रकबा 1.2267 हैक्टेयर ब.हि. बराबर सयुक्त तथा प्रतिवादीगण 2 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 476/58 रकबा 1.2267 हैक्टेयर ब.हि. बराबर हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव प्रति अन्तिम डिक्री के साथ रहे अन्तिम डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/0[illegible]/2020 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner